

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

### --:: विविध आदेश ::--

क/ सू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/04/23

प्रशासनिक कार्य व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से, जिला न्यायालय कटनी में पूर्व में गठित विभिन्न अनुभागों के वरिष्ठ/कनिष्ठ प्रभारी अधिकारी संबंधी विविध आदेश/ज्ञापन/परिपत्र एवं गठित समितियों संबंधी आदेश/ज्ञापन/परिपत्र को निरस्त करते हुये, निम्नानुसार विवरण अनुसार विभिन्न अनुभागों के वरिष्ठ/कनिष्ठ प्रभारी अधिकारी एवं समितियों संबंधी निम्नानुसार आदेश जारी किये गये हैं :-


### ( भाग 1 – विभिन्न अनुभाग )

क्रं	अनुभाग का नाम	वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी का नाम व पदनाम	कनिष्ठ प्रभारी अधिकारी का नाम व पदनाम
01	कार्यालय/लेखा/सांख्यिकी अनुभाग	<b>श्री आशुतोष मिश्र</b> द्वितीय जिला न्यायाधीश कटनी	1. श्री नदीम जावेद खान सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड 2. श्री मुदित लटौरिया तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
02	नजारत अनुभाग	<b>श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा</b> विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), कटनी	1. श्रीमती सिद्धी मिश्रा, सप्तम जिला न्यायाधीश कटनी 2. श्री नदीम जावेद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 3. श्री दिलीप दुबे अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड 4. श्री मुदित लटौरिया तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
03	प्रतिलिपि अनुभाग	श्री राजकुमार यादव नवम जिला न्यायाधीश	1. श्री के.एन.अहिरवार तृतीय जिला न्यायाधीश कटनी 2. श्रीमती शीतल बघेल पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड 3. कु. सोनम शर्मा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
04	अभिलेखागार अनुभाग	श्री हेमंत रघुवंशी द्वितीय जिला न्यायाधीश	1. श्री के.एन. अहिरवार तृतीय जिला न्यायाधीश 2. श्री अरुण गोयल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
05	लायब्रेरी, फार्मस एवं स्टेशनरी अनुभाग	<b>श्री इरशाद अहमद</b> चतुर्थ जिला न्यायाधीश	1. श्री हेमंत कुमार रघुवंशी पंचम जिला न्यायाधीश कटनी 2. श्री दिलीप दुबे जेएमएफसी
06	मालखाना अनुभाग	<b>श्री विकास चौहान</b> मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,	1. श्रीमती निधि जैन तृतीय व्य.न्याया. वरिष्ठ खण्ड 2. श्री नदीम जावेद खान सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड 3. श्री दिलीप दुबे

			अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड 4. श्री लालता सिंह, जेएमएफसी
07	जिला न्यायालय कम्प्यूटर अनुभाग (ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज-2 /कम्प्यूटर रखरखाव/जिला न्यायालय परिसर कटनी में स्थापित CCTV पर्यवेक्षण कार्य)	सुश्री श्वेता गोयल प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कटनी के चतुर्थ अति. न्यायाधीश कटनी	1. श्री के.एन.अहिरवार तृतीय जिला न्यायाधीश कटनी 2. श्रीमती निधि जैन तृतीय व्य.न्याया. वरिष्ठ खण्ड 3. श्री मुदित लटौरिया तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड 4. श्रीमती अंकिता त्रिपाठी जेएमएफसी कटनी 5. जूनियर डाटा एनालिस्ट/सिस्टम अरिस्टेंट

टीप:-

1. सांख्यिकीय लिपिक समस्त न्यायालय से प्राप्त मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरण पत्रकों को जांच कर पंचम अपर जिला न्यायाधीश, कटनी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिनकी जांच पंचम अपर जिला न्यायाधीश, कटनी द्वारा अपनी टीप के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन कं.बी/4665 दि. 14.10.2015 के अनुसार उपरोक्त वर्णित प्रभारी अधिकारियों द्वारा पर्याप्त कार्य करने तथा जिला न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित किये जाने पर ही यूनिट क्लेम किये जावेंगे।
3. संबंधित अनुभागों के प्रभारी समय-समय पर नियम अवधियों में संबंधित अनुभागों का नियमित रूप से निरीक्षण कर अनुभाग के अनुसचिवीय अधिकारी को आवश्यक निर्देश देंगे और इस संबंध में अनुभाग में संधारित "निरीक्षण पंजी" में आवश्यक टीप अंकित करेंगे और आगामी निरीक्षण के समय यह देखेंगे कि उसका पालन हुआ या नहीं।



( धरमिन्दर सिंह राठौड )

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

—:: विविध आदेश ::—

(भाग - 2 ) विभिन्न समिति

क्र.	समिति का नाम	समिति के अध्यक्ष का नाम व पदनाम	समिति के सदस्य का नाम व पदनाम
	कमोन्नति, स्थानान्तरण, प्रशासनिक कार्य, कंटीजेंसी भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति एवं समय समय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीष द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य समिति (नोट : मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28.06.19 (भाग 4 ग) में प्रकाशित मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016 की कंडिका 19 के अनुसार पृथक से विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया है)	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश कटनी	1. श्री आशुतोष मिश्र, द्वितीय जिला न्यायाधीश कटनी 2. श्री डी.के.सिंह षष्ठम जिला न्यायाधीश कटनी 3. श्री राजकुमार यादव नवम जिला न्यायाधीश कटनी 4. श्रीमती सिद्धि मिश्रा सप्तम जिला न्यायाधीश 5. प्रशासनिक अधिकारी, कटनी 6. श्री महेन्द्र सिंह, लेखापाल, कटनी
	निर्माण कार्य देखरेख एवं आपदा प्रबंधन समिति	श्री डी.के.सिंह षष्ठम जिला न्यायाधीश कटनी	1. श्री के.एन. अहिरवार, तृतीय जिला न्यायाधीश कटनी 2. श्री हेमंत रघुवंशी पंचम जिला न्यायाधीश कटनी 3. श्री विकास चौहान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, 4. श्री नदीम जावेद खान जेएमएफसी 5. श्री दिलीप दुबे अष्टम व्यवहार न्यायाधीष कनिष्ठ खण्ड 6. जिला नाजिर कटनी
	नोट :- समिति निर्माणाधीन शासकीय आवासों का प्रति सप्ताह निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं नियत समयवधि में निर्माण कार्य की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रति सप्ताह निरीक्षण कर संबंधितों को आवश्यक निर्देश देकर उनका पालन सुनिश्चित करायेगी।		
	स्वच्छ न्यायालय/ पक्षकारों की सुविधाओं से संबंधित कार्य संपन्न करने हेतु समिति/ हरित न्यायालय समिति	श्री आशुतोष मिश्र, द्वितीय जिला न्यायाधीश	1. श्री विकास चौहान, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, 2. श्री नदीम जावेद खान जेएमएफसी 3. श्री अरुण कुमार गोयल प्रथम व्यवहार न्यायाधीष कनिष्ठ खण्ड 4. श्री मुदित लटौरिया तृतीय व्यवहार न्यायाधीष कनिष्ठ खण्ड 5. जिला नाजिर
	न्यायालय परिसर में यातायात प्रबंधन समिति	श्री विकास चौहान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,	1. श्री नदीम जावेद खान, जेएमएफसी 2. श्री मुदित लटौरिया तृतीय व्यवहार न्यायाधीष कनिष्ठ खण्ड



5.	केन्टीन समिति	सुश्री श्वेता गोयल प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कटनी के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश	1. श्री अरुण गोयल जेएमएफसी 2. श्रीमती अंकिता त्रिपाठी जेएमएफसी
3.	माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त रिट पिटीशन का जबाबदावा तैयार करने की समिति	श्री डी.के.सिंह षष्ठम जिला न्यायाधीश कटनी	1. श्रीमती यतेश शिशोदिया प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी के तृतीय अति. न्यायाधीश कटनी 2. श्री नदीम जावेद खान सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
7.	म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22 क-4का उल्लंघन किये जाने वाले कर्मचारी की जांच समिति/ कार्यालय से संबंधित विवादित आवेदनों के निराकरण हेतु समिति	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), कटनी	1. श्री डी.के.सिंह षष्ठम जिला न्यायाधीश कटनी 2. श्रीमती निधि जैन जेएमएफसी
3.	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थानांतरण समिति	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), कटनी	1. श्री आशुतोष मिश्र, द्वितीय जिला न्याया. कटनी 2. श्रीमती सिद्धी मिश्रा सप्तम जिला न्याया.कटनी

- नोट :**
- उक्त प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में कमेटी के सदस्य सम्मिलित रूप से संयुक्त दायित्व के आधार पर कार्य संपन्न करेंगे और उक्त कार्य से संबंधित जो भी कार्यवाही की जायेगी वह जिला रजिस्ट्रार कटनी के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
  - उक्त अनुभागों के प्रभारी अधिकारी अपने-अपने अनुभाग से संबंधित कार्य संपन्न करने और माह के प्रथम सप्ताह से मासिक प्रतिवेदन/रिपोर्ट मुझे सौपेंगे।
  - उक्त समितियों में समन्वयक/प्रस्तावक के रूप में पदेन रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट कटनी रहेंगे।
  - जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन न्यायिक अधिकारी के आवासगृहों के निर्माण कार्य का निर्माण कार्य देखरेख एवं आपदा प्रबंधन समिति नियमित रूप से पी.आई.यू.से समन्वय स्थापित कर निरीक्षण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि निर्माण कार्य डी.पी.आर./प्राक्कलन मय मानचित्र/टेंडर के अनुरूप किया जा रहा है। समिति उक्त संबंध में प्रति माह के अंतिम सप्ताह में निर्माण कार्य की प्रगति, निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षा अनुरूप न होने की स्थिति में उक्त संबंध में आ रही कठिनाईयां, गुणवत्ता आदि के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
  - न्यायालय में स्वच्छता/सफाई कार्य हेतु नियुक्त संस्था द्वारा भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किये जाने पर स्वच्छता समिति, जिसमें उक्त प्रयोजन से अध्यक्ष, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) कटनी होंगे, समीक्षा कर इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे कि संस्था द्वारा कान्स्ट्रैक्ट अनुसार भुगतान अवधि में उचित रूप से/संतोषप्रद रूप से कार्य किया गया है या नहीं और वांछित बिल का भुगतान किया जाना उचित होगा या नहीं।

6. उपरोक्त अनुभागों/समिति के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/सदस्य अपने पदनाम के अनुसार पर नियुक्त किये गये हैं। भविष्य में स्थानांतरण होने पर स्थानांतरित अधिकारी के स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा कार्य देखा जावेगा।



( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

(भाग - 3 विविध आदेश )

## समिति कं.1 विभागीय कय समिति

क/क्यू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/01/12

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के पृष्ठाकंन कं. सी/4217/लेखा/चार-8-62/15 जबलपुर दिनांक 06.10.15 के साथ प्रेषित संचालनालय कोष एवं लेखा, के पत्र कं.डीटीए/भंडार/2015/88 भोपाल दिनांक 27.08.15 के साथ संलग्न म.प्र. भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 10 के आदेशानुसार पूर्व में गठित विभागीय कय समिति को तत्काल भंग कर निम्नानुसार विभागीय कय समिति का गठन किया जाता है :-

1.	<b>श्री डी.के.सिंह</b> षष्ठम जिला न्यायाधीश कटनी	अध्यक्ष
2.	<b>सुश्री श्वेता गोयल</b> प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी के चतुर्थ अति. न्यायाधीश	सदस्य
3.	<b>श्रीमती सिद्धी मिश्रा</b> सप्तम जिला न्यायाधीश कटनी	सदस्य
4.	<b>श्री विकास चौहान</b> मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	सदस्य
5.	<b>श्री नदीम जावेद खान जेएमएफसी</b>	सदस्य
6.	<b>प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी, कटनी</b>	सदस्य
7.	<b>श्री महेन्द्र सिंह</b> लेखापाल, जिला न्यायालय	सदस्य

नोट:- कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय कटनी में कय संबंधी कार्यवाही के दौरान उक्त समिति के सदस्य क. 6 एवं 7 में वर्णित उपप्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल कुटुम्ब न्यायालय सदस्य रहेंगे।



( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

क/क्यू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/03/23

(भाग - 3 विविध आदेश )

### समिति कं.2- ( पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में गठित समिति )

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के ज्ञापन कं.ई/3358/111-1-5/57 जबलपुर, दिनांक 01.05.2017 की कंडिका क्रमांक 1 के पालन में दिए गए निर्देशानुसार इस स्थापना पर पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के पुराने लंबित प्रकरणों को निराकृत करने के संबंध में एवं विचाराधीन बंदियों से संबंधित प्रकरण तथा अन्य प्राथमिकता के आधार पर निपटाये जाने वाले प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के संबंध में मेरी अध्यक्षता में निम्नानुसार कमेटी गठित किया जाता है।

- |                                       |   |            |
|---------------------------------------|---|------------|
| 1. श्री आशुतोष मिश्र                  | : | सदस्य      |
| द्वितीय जिला न्यायाधीश कटनी           |   |            |
| 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी      | : | सदस्य/सचिव |
| (वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1)   |   |            |
| 3. श्री नदीम जावेद खान                | : | सदस्य      |
| जेएमएफसी कटनी                         |   |            |
| 4. श्रीमती रंजना चतुर्वेदी            | : | सदस्य      |
| द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड |   |            |



( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

(भाग - 3 विविध आदेश )

क/ क्यू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 12/01/12

## समिति कं.3- (अवकाशों के निराकरण के संबंध में गठित समिति)

निम्न न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार स्थापना में पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अवकाश संबंधी स्वत्वों का निराकरण करने तथा अन्य आवश्यक कार्यालयीन कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

कं.	न्यायिक अधिकारी का पदनाम	कार्य
1.	विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटीज) कटनी श्रीमती सिद्धी मिश्रा, सप्तम जिला न्यायाधीश कटनी	1. निज सहायक-जिला न्यायाधीश, लेखापाल, प्रशासनिक अधिकारी, उप प्रशासनिक अधिकारी, सांख्यिकीय लिपिक, जिला नाजिर को छोड़कर समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के अर्जित एवं लघुकृत अवकाशों का निराकरण करना एवं उनके स्वीकृति संबंधी आदेशों पर हस्ताक्षर करना।
2.	विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटीज) कटनी. श्रीमती सिद्धी मिश्रा, सप्तम जिला न्यायाधीश कटनी	1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल को संबोधित पत्रों को छोड़कर उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर चाही गई जानकारी को जांच उपरांत हस्ताक्षर कर प्रेषित करना। 2. निज सहायक-जिला न्यायाधीश, लेखापाल, प्रशासनिक अधिकारी, उप प्रशासनिक अधिकारी, सांख्यिकी लिपिक, जिला नाजिर को छोड़कर समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के आकस्मिक/ऐच्छिक अवकाशों का निराकरण करना।
3.	प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कटनी श्री आशुतोष मिश्र, द्वितीय जिला न्यायाधीश कटनी	समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आकस्मिक/ ऐच्छिक अवकाश तथा अर्जित अवकाश, लघुकृत अवकाश का निराकरण करना एवं उनसे संबंधित आदेशों पर हस्ताक्षर करना।

नोट:- प्रथम प्रभार वाले अधिकारी की अनुपस्थिति में द्वितीय प्रभार वाले अधिकारी कार्य करेंगे।

( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.




**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश**  
**(भाग - 3 विविध आदेश )**

क/ क्यू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/04/23

**समिति कं.4 (ई-मेल्लस का जवाब देने हेतु)**

माननीय मंत्री, विधि एवं न्याय और इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र क्र० ए-60011/12/2017-LAP(JUS) एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञा०क्र० Reg(IT)(SA)/2017/1059 जबलपुर दि.04.09.17 में दिये गये निर्देशों के पालन में **सुश्री श्वेता गोयल, प्रथम जिला न्यायाधीष कटनी के चतुर्थ अति. न्यायाधीश कटनी** को जिला न्यायालय कटनी की ओर से ई-मेल्लस का जबाव देने/प्रत्युत्तर हेतु पदाभिहित (Designate) किया जाता है ।

  
( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

(भाग - 3 विविध आदेश )


क/क्यू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/04/18

## समिति कं.5- (प्रकरणों के डिजीटलाइजेशन एवं विनिष्टिकरण हेतु कमेटी)

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के ज्ञापन कं.Reg(IT)(SA)/2018/1481, Jabalpur, Dated 10 Oct.2018 एवं तत्संबंध में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त ज्ञापन कं.Reg (IT)(SA)/2018/1128, Jabalpur, Dated 07.08.2018, Reg(IT)(SA)/ 2018/1129, Jabalpur, Dated 07.08.2018 & Reg(IT)(SA)/2018/1199, Jabalpur, Dated 20.08.2018 के पालन में इस कार्यालय द्वारा अभिलेखागार में जमा निराकृत प्रकरणों के डिजीटलाइजेशन एवं विनिष्टिकरण से संबंधित संपूर्ण कार्य हेतु गठित समिति आदेश कमांक क्यू दिनांक 22.10.18. निम्नानुसार संशोधन किया जाकर नवीन कमेटी गठित की जाती है :-

कं.	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	समिति पदीय हैसियत
1	सुश्री श्वेता गोयल	प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश कटनी	अध्यक्ष
2.	श्री हेमंत रघुवंशी	पंचम जिला न्यायाधीश	सदस्य
3	श्री अरुण गोयल	जेएमएफसी कटनी	सदस्य
4	प्रशासनिक अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
5	श्री प्रियल दुबे	जूनियर डाटा एनालिस्ट	सदस्य
6	श्री सिद्धार्थ यादव	अभिलेखपाल	सदस्य
<b>क्वालिटी चेक टीम</b>			
1	सुश्री श्वेता गोयल	प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी के चतुर्थ अति. न्यायाधीश	प्रभारी अधिकारी
2	श्रीमती सिद्धी मिश्रा	सप्तम जिला न्यायाधीश	सदस्य
3	श्री अरुण गोयल	जेएमएफसी कटनी	सदस्य
4	श्री मुदित लटौरिया	जेएमएफसी कटनी	सदस्य
5	श्री संजय नेमा	उप प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य

  
**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 कटनी म.प्र.



**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश**  
(भाग - 3 विविध आदेश )

क/ क्यू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/04/23

**समिति कं. 6- ( आउटसोसिंग के माध्यम से फोटोकापी कार्य संपादित कराये जाने हेतु गठित समिति )**

इस न्यायिक स्थापना पर आउटसोसिंग के माध्यम से फोटोकापी कार्य संपादित कराये जाने हेतु पूर्व गठित समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर, निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- |    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| 1. | श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री के.एन. अहिरवार तृतीय जिला न्यायाधीष               | - | सदस्य   |
| 3. | श्रीमती निधि जैन तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ        | - | सदस्य   |



( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश**  
(भाग - 3 विविध आदेश )

क/ क्यू/ दो-12-01/12

कटनी दिनांक 12/01/18

**समिति कं.7- (आउटसोसिंग से सफाई कार्य एवं बगीचे की देखरेख कार्य करवाये जाने हेतु समिति)**

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क्रं. सी/285 जबलपुर दिनांक 12.01.18 के परिपेक्ष्य में न्यायिक जिला स्थापना कटनी में आउटसोसिंग से सफाई कार्य एवं बगीचे की देखरेख कार्य करवाये जाने हेतु आमंत्रित निविदा को खोले जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

- |    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| 1. | श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री के.एन. अहिरवार तृतीय जिला न्यायाधीश               | - | सदस्य   |
| 3. | श्रीमती निधि जैन तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ        | - | सदस्य   |



( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश**  
(भाग - 3 विविध आदेश )

क/ क्यू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/04/23

**समिति कं. 8**

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा जिला स्थापना/तहसील मुख्यालय के पुस्तकालयों में रखी अनुपयोगी पुस्तकों के व्ययन के संबंध में तैयार SCHEME FOR WEEDING OUT OF BOOKS OF HIGH COURT OF M.P. AND DISTRICT COURTS OF THE STATE की कंडिका क्रं.15 में दिये गये निर्देश के पालन में जिला स्थापना/तहसील मुख्यालय के पुस्तकालयों में रखी पुस्तकों आदि का परीक्षण कर अनुपयोगी पुस्तकों का मध्यप्रदेश वित्त संहिता एवं मध्यप्रदेश वित्तीय शक्तियों की पुस्तक में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार व्ययन हेतु अनुशंसा करने/कार्यवाही करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1. श्री इरशाद अहमद, चतुर्थ जिला न्यायाधीश कटनी  
वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी, लायब्रेरी/फार्मस् स्टेशनरी अनुभाग,
2. श्री विकास चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी
3. श्रीमती निधि जैन तृतीय व्यवहार न्यायाधीष वरिष्ठ खण्ड
4. श्री अरुण गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीष कनिष्ठ खण्ड
5. श्री मुदित लटौरिया, तृतीय व्यवहार न्यायाधीष कनिष्ठ खण्ड



( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)**  
**(भाग - 3 विविध आदेश )**

क्रमांक / क/दो-12-01/02

कटनी दि. 17/04/19

**समिति कं.9 ( विभागीय पदोन्नति समिति )**

प्रशासनिक कार्य व्यवस्था को सुचारु रूप से सम्पादित किये जाने हेतु पूर्व में गठित पदोन्नति समिति बावत आदेश को निरस्त करते हुये म.प्र. राजपत्र दिनांक 28.06.2019 (भाग 04) (ग) में प्रकाशित म.प्र. जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016 की कंडिका-19 के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी : अध्यक्ष
  2. विशेष न्यायाधीश(अनु.जाति/जनजाति) कटनी : सदस्य  
(वरिष्ठम अपर जिला न्यायाधीश)
  3. प्रथम व्यव.न्याया.वर्ग-1/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी : सदस्य  
(वरिष्ठम व्यवहार न्यायाधीश सीनियर डिवीजन)
- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।



**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 कटनी म.प्र.



**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)**  
**(भाग - 3 विविध आदेश )**

कमांक / क/दो-12-01/02

कटनी दि. 17/04/17

**समिति कं. 10 ( विशाखा समिति )**


माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर के पृ.कं.सी/171 जबलपुर दिनांक 10.01.2018 के संलग्न मध्य प्रदेश राजपत्र दि.29.04.2018 में दिये गये निर्देशों के अनुसार The Gender Sensitification and Sexual Harassement of Women a the High Court of Madhya Pradesh and Subordinates Courts (Preventions, Prohibition and Redressal) Regulation, 2015 के चेप्टर-11, की कंडिका 4(1)(बी), एवं (3) तथा म.प्र.राजपत्र दि.15.12.2017 सहपठित Amendments के प्रकाश में न्यायिक जिला स्थापना कटनी पर Gender Sensitification and Internal Complaints Commotee (GSICC) का गठन किया जाना है :-

THE GENDER SENSITIFISATION AND SEXUAL HARASSEMENT OF WOMEN A THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AND SUBORDINATES COURTS (PREVENTIONS, PROHIBITION AND REDRESSAL) REGULATION, 2015 के चेप्टर-11, की कंडिका 4(1)(बी), एवं (3) तथा म.प्र.राजपत्र दि.15.12.2017 सहपठित AMENDMENTS के पालन में निम्नानुसार संशोधित DISTRICT COURT COMMITTEE का गठन किया जाता है :-

न्यायिक जिला स्थापना का नाम : कटनी

स.कं.	नाम	पदनाम	समिति में पदीय हैसियत
1.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	विशेष न्यायाधीश	अध्यक्ष
2.	सुश्री श्वेता गोयल,	विशेष न्याया. पॉक्सो अधि. कटनी	सदस्य
3.	श्रीमती यतेश शिशोदिया	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कटनी के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश	सदस्य
4.	श्रीमती आशा विश्वकर्मा	वरिष्ठ अधिवक्ता	महिला सदस्य
5.	प्रशासनिक अधिकारी कटनी	प्रशासनिक अधिकारी कटनी	सचिव
6.	श्रीमती सविता सिंह सोलंकी	सहायक ग्रेड-2	अन्य सदस्य

नोट : विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न ( Preventions, Prohibition and Redressal ) अधिनियम 2013, The Gender Sensitification And Sexual Harassement Of Women A The High Court Of Madhya Pradesh And Subordinates Courts (PREVENTIONS, Prohibition And Redressal) Regulation, 2015 के चेप्टर-11, की कंडिका 4(1)(बी), एवं (3) तथा म.प्र.राजपत्र दि.15.12.2017 सहपठित AMENDMENTS.

  
**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 कटनी म.प्र.

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी (म.प्र.)**  
(भाग - 3 विविध आदेश )

क्रमांक : क्यू/एक-13-1/2019

कटनी दि 17/04/19

**समिति कं. 11 ( अप्रभावी एवं सारहीन आपराधिक प्रकरणों की वापसी हेतु गठित समिति )**

इस न्यायिक जिला स्थापना कटनी में प्रशासनिक कार्य व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन कं. सी/44/ दो-2-3/67 दि. 07.01.2015 के अनुसार जिला स्तर पर निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है :-

1.	श्री हेमंत कुमार रघुवंशी पंचम जिला न्यायाधीश	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कटनी	सदस्य
3.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कटनी	सदस्य
4.	जिला अभियोजन अधिकारी, कटनी	सदस्य सचिव,
5.	समिति की सहायता के लिये सहायक जिला अभियोजन अधिकारी 1. सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, 2. सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, 3. सहायक जिला अभियोजन अधिकारी	

कमेटी ज्ञापन में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर प्रत्येक माह की 3 तारीख तक जानकारी निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय की ओर प्रेषित करें।

( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)**  
(भाग - 3 विविध आदेश )

क्रमांक / क/दो-12-01/02

कटनी दि. 17/04/23

**समिति कं. 12 ( न्यायिक अधिकारियों के आवासगृहों/न्यायालय भवन के निर्माण समिति )**

इस न्यायिक जिला स्थापना कटनी में प्रशासनिक कार्य व्यवस्था एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये, भारत सरकार तथा राज्य शासन के बराबर-बराबर के अंशधन के आधार पर अधोसंरचना के अधीन न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासगृह एवं न्यायालय भवन निर्माण हेतु जिला स्तर पर निर्माण कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखे जाने हेतु जिलेवार अधिकारियों की समिति बनाई जाना है, जो निर्माण कार्य की कठिनाई का निराकरण त्वरित गति से कर सके क्योंकि भारत सरकार को प्रत्यक तिमाही के व्यय की जानकारी भेजी जाना है, जिससे उनका अंशधन प्राप्त हो सकें। अतः अर्धशासकीय पत्र कं.17(ई)82/92/21-ब (एक), भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 1994 के अनुसार निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
2. जिलाध्यक्ष
3. कार्यपालन यंत्री/लोक निर्माण विभाग/P.I.U.



( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी (म.प्र.)**  
**(भाग - 3 विविध आदेश )**


क्रमांक / क/दो-12-01/02

कटनी दि. 12/09/14

**समिति कं. 13 ( जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति )**

इस न्यायिक जिला स्थापना कटनी में प्रशासनिक कार्य व्यवस्था एवं सुविधा से माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर का आदेश कं. ए/3278/दो-15-24/77 पीटी दो जबलपुर दिनांक 12.09.2014 अनुसार निम्नानुसार **Committee for Redressal of the Grievances of Litigants and Members of Bar Association at District** गठित की जाती है :-

- |    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| 1. | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी                    | : | अध्यक्ष |
| 2. | जिला रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय कटनी                    | : | सचिव    |
| 3. | अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ कटनी                        | : | सदस्य   |
| 4. | सचिव, जिला अधिवक्ता संघ कटनी                           | : | सदस्य   |
| 5. | म.प्र.राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर द्वारा मनोनीत सदस्य | : | सदस्य   |



( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 कटनी म.प्र.

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)**

**(भाग - 3 विविध आदेश )**

क्रमांक क/दो-12-01/02

कटनी, दि. 17/05/17

**समिति क्रं. 14 ( किशोर न्याय बोर्ड समिति )**

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रं.RJ-I/J.J/C/2010 Jabalpur, Dated 12.05.17 के द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार किशोर न्यायबोर्ड के क्रियाकलापों को देख-रेख हेतु समिति का गठन पूर्व गठित समिति को भंग कर निम्नानुसार किया जाता है:-

1	विजिटर	श्रीमती सिद्धी मिश्रा सप्तम जिला न्यायाधीश कटनी
2	सदस्य	श्री नीलेश कुमार जिरैटी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी
3	सदस्य	श्री विकास चौहान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी
4	सदस्य	श्रीमती रंचना चतुर्वेदी प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड कटनी
5	सदस्य	कलेक्टर कटनी
6	सदस्य	कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० (भ/स) कटनी
7	सदस्य	आयुक्त नगर निगम कटनी (मु० न० पा०अधि०)कटनी

उक्त विजिटर समिति को किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति की बिल्डिंग की कंडीशन का अवलोकन करने एवं उसमें होने वाले पुननिर्माण कार्य के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु भी अधिकृत किया जाता है।



**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

20

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

(भाग - 3 विविध आदेश )

क/क्यू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/04/25

समिति कं. 15

न्यायिक जिला स्थापना कटनी में अनुपयोगी सामग्री/अनुपयोगी मशीनरी/ गैर रिपेयर योग्य (Non-Repairable) फर्नीचर/सामग्री/मशीनरी/वाहनों आदि के नीलामी आदि के माध्यम से अपलेखन हेतु मध्यप्रदेश वित्त संहिता नियम 140, 141 एवं 142 आदि में दिये गये निर्देशानुसार विधिवत अपलेखन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज कटनी	अध्यक्ष
2.	श्री इरशाद अहमद चतुर्थ जिला न्यायाधीश	सदस्य
3.	श्री राजकुमार यादव, नवम जिला न्यायाधीश	सदस्य
4.	श्री विकास चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी	सदस्य
5.	श्री नदीम जावेद खान जेएमएफसी कटनी	सदस्य
6.	कृ. सोनम शर्मा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीष कनिष्ठ खण्ड	सदस्य
7.	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडक) कटनी	सदस्य
8.	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (विद्युत एवं यांत्रिकी ) कटनी	सदस्य
9.	अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कटनी	सदस्य
10.	प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
11.	श्री महेन्द्र सिंह लेखापाल,जिला न्यायालय	सदस्य

नोट :- क्रं. 7, 8 एवं 9 के सदस्य संबंधित प्रकरण में आवश्यकता होने पर अध्यक्ष के निर्देशानुसार ही उपस्थित होंगे।



( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

(भाग - 3 विविध आदेश )

क/क्यू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/04/13

समिति कं. 16 (वित्तीय मामलों/वित्तीय मामलो से संबंधित आनुशंगिक विषयों के संबंध में कार्यालय से प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव के संबंध में)

कार्यालय/विभिन्न अनुभागों/समितियों आदि से प्राप्त होने वाले सभी मामले/प्रस्ताव आदि, जिनमें किसी भी दृष्टि से/किसी भी रूप में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में वित्तीय/आर्थिक बिन्दु अंतरवलित हो, के संबंध में वित्तीय औचित्य/शुचिता/समस्त अद्यतन एवं वर्तमान में लागू विधियों/शासकीय (केन्द्र व राज्य) एवं माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर आदि का पालन सुनिश्चित करने हेतु, कार्यालय/विभिन्न अनुभागों/समितियों आदि से प्राप्त होने के बाद सर्वप्रथम उसका परीक्षण सभी दृष्टियों/बिन्दुओं से प्रशासनिक अधिकारी, उप प्रशासनिक अधिकारी एवं लेखापाल द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा और उनके द्वारा संबंधित विषय/बिन्दु पर अपना स्पष्ट अभिमत/प्रस्ताव आदि समग्र अद्यतन सुसंगत विधियों/माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य/केन्द्र शासन के सर्कुलरों आदि के संदर्भ में करने के बाद उन्हें उनके साथ इस प्रयोजन हेतु गठित समिति के समक्ष अंतिम अभिमत/प्रस्ताव हेतु रखा जावेगा।

प्रशासनिक अधिकारी, उप प्रशासनिक अधिकारी एवं लेखापाल द्वारा अपने प्रस्ताव/अभिमत के साथ निम्न आशय का प्रमाणपत्र भी संलग्न किया जावेगा :-

“ एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभिमत/प्रस्ताव समस्त अद्यतन, सुसंगत एवं वर्तमान में लागू विधियों एवं राज्य/केन्द्र शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर आदि का अवलोकन करने के बाद दिया जाकर उनके अनुरूप है और विषयांकित मामले/प्रस्ताव के संबंध में सभी अपेक्षित पूर्वापेक्षायें का पालन किया जा चुका है/प्रक्रम पूर्ण हो चुके है/पालन किया जा चुका है ”



( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

(भाग - 3 विविध आदेश )

क/क्यू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक

समिति कं. 17

वित्तीय मामलों/वित्तीय मामलो से संबंधित आनुशांगिक विषयों के संबंध में समिति

वित्तीय मामलों/वित्तीय मामलों से संबंधित आनुशांगिक विषयों के संबंध में प्रशासनिक अधिकारी, उप प्रशासनिक अधिकारी एवं लेखापाल से अभिमत/प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उक्त कार्यालयीन विविध आदेश में उल्लेख अनुसार/उल्लेखित बिन्दुओं पर विचार करने के उपरांत अपना अंतिम स्पष्ट अभिमत/प्रस्ताव देने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

1. श्री डी.के.सिंह, षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश कटनी - अध्यक्ष
2. श्रीमती श्वेता गोयल, प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी के चतुर्थ अति. न्यायाधीश - सदस्य
3. श्रीमती सिद्धि मिश्रा सप्तम जिला न्यायाधीश कटनी - सदस्य
4. श्री विकास चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सदस्य
5. श्री नदीम जावेद खान, जेएमएफसी कटनी - सदस्य
6. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य
7. उप प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य

समिति द्वारा अपने प्रस्ताव/अभिमत के साथ निम्न आशय का प्रमाणपत्र भी संलग्न किया जावेगा :-

" एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभिमत/प्रस्ताव समस्त अद्यतन, सुसंगत एवं वर्तमान में लागू विधियों एवं राज्य/केन्द्र शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर आदि का अवलोकन के बाद दिया जाकर उनके अनुरूप है और विषयांकित मामले/प्रस्ताव के संबंध में सभी प्रापेक्षित पूर्वापेक्षायें का पालन किया जा चुका है/प्रक्रम पूर्ण हो चुके है/पालन किया जा चुका है "

( धरमिन्दर सिंह राठौड )

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

(भाग - 3 विविध आदेश )

क/क्यू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 19/04/17

### समिति कं. 18

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के ज्ञापन कं. सी/1814 दिनांक 25.04.17 में दिये गये निर्देशों के पालन में पूर्व के सभी आदेशों को निरस्त करते हुये, प्रकाशन हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी की स्थापना, वर्तमान एवं पूर्व के इतिहास आदि के संबंध में समय समय पर चाही जाने वाली रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार नवीन समिति गठित की जाती है :-

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. श्री इरशाद अहमद, चतुर्थ जिला न्यायाधीश | - अध्यक्ष |
| 2. श्री नदीम जावेद खान, जेएमएफसी कटनी     | - सदस्य   |
| 3. श्री एम.एल.तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता     | - सदस्य   |
| 4. श्री आलोक जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता         | - सदस्य   |
| 5. जिला नाजिर                             | - सदस्य   |

*Ali*

( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



24

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी (म.प्र.)**  
**(भाग - 4 विविध आदेश-1)**

क्रमांक / क/दो-12-01/02

कटनी दि. 17/04/23

प्रशासनिक सुविधा एवं प्रशासन के सुचारु रूप से संचालन एवं प्रशासनिक दक्षता के विकास हेतु एतद द्वारा आदेश दिया जाता है कि मेरी अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज और उनकी अनुपस्थिति में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश पूर्व से नियत और नियत दिनांक नियत अवधि में होने वाली बैठकों का आयोजन करेंगे और उनका कार्यवाही विवरण तैयार करके उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा मेरी अनुपस्थिति में नियत दिनांक/नियत अवधि/तत्काल चाही गई जानकारी आदि माननीय उच्च न्यायालय आदि को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।



**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)**

**(भाग - 4 विविध आदेश-2)**

क्र. क/दो-12-01/02

कटनी, दिनांक 17/04/23

प्रशासनिक सुविधा, प्रशासन के सुचारु रूप से संचालन एवं प्रशासनिक दक्षता हेतु एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी, उप प्रशासनिक अधिकारी, लेखापाल, सहायक लेखापाल, सांख्यिकीय लिपिक, जिला नाजिर, नायब नाजिर, नाजिर मालखाना, प्रधान प्रतिलिपिकार, अभिलेखापाल, ग्रंथपाल, सिस्टम आफ्तीसर/असिस्टेंट सिस्टम आफ्तीसर मेरे द्वारा पारित आदेशों/निर्देशों, विभिन्न अनुभागों के प्रभारी, विभिन्न समितियों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों/अनुशंसाओं, अन्य विविध विषयों/कार्यों हेतु नामांकित अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों, कार्यवाही, अनुशंसा/प्रस्ताव आदि का अंतिम रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे/के अनुपालन में यथा आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त अनुसचिवीय अधिकारीगण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियत अवधि/नियत दिनांक तक चाही गई जानकारी/प्रपत्र आदि नियत अवधि के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक माह नियमित रूप से/नियत अंतरालों पर माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किये जाने प्रपत्र/जानकारी भी नियत समय पर माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त संबंध में उनके अनुपालन के क्रम में आवश्यकतानुसार विशेष वाहक, ईमेल, रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/साधारण डाक से प्रेषित किये जाने के बाद उक्त अनुसचिवीय अधिकारीगण उक्त संबंध में उपयुक्त मामलों में यह भी सुनिश्चित करेंगे (जैसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल/नियत अवधि में चाही गई जानकारी ईमेल आदि से प्रेषित किये जाने की स्थिति में) प्रेषित जानकारी/प्रपत्र आदि माननीय उच्च न्यायालय आदि को प्राप्त हो चुकी है।

संबंधित अनुसचिवीय अधिकारीगण उपरोक्तानुसार संबंधित नस्ती/कार्यवाही को पूर्ण करने एवं उसके प्रेषण उपरांत संबंधित नस्ती को संबंधित प्रभारी अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे और प्रभारी अधिकारी उस पर अवलोकन उपरांत संतुष्ट होने पर कि आवश्यक कार्यवाही हो चुकी है, कोई कार्यवाही शेष नहीं है, स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे और यदि संबंधित द्वारा निर्देश/आदेश के क्रियावयन में कोई त्रुटि, व्यतिक्रम या लापरवाही आदि किया जाना पाया जाता है, तो वह तत्संबंध में आवश्यक टीप अंकित कर नस्ती आवश्यक कार्यवाही हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उक्त आदेश/निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। इसका पालन न करने में संबंधित को विभागीय कार्यवाही हेतु दांयी बनाया जायेगा।



**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

(भाग - 4 विविध आदेश-3 )

कं. क/दो-12-01/02

कटनी, दिनांक 17/04/23

प्रशासनिक सुविधा, प्रशासन के सुचारु रूप से संचालन एवं प्रशासनिक दक्षता हेतु एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी, उप प्रशासनिक अधिकारी, लेखापाल, सहायक लेखापाल, सांख्यिकीय लिपिक, जिला नाजिर, नायब नाजिर, नाजिर मालखाना, प्रधान प्रतिलिपिकार, अभिलेखापाल, ग्रंथपाल, सिस्टम आफीसर, असिस्टेंट सिस्टम आफीसर द्वारा प्राप्त डाक आदि को, जिसमें तत्काल/लौटती डाक से और नियत अवधि में कार्यवाही किया जाना है/जो मोस्ट अर्जेन्ट/अर्जेन्ट आदि प्रकृति के हैं, को तत्काल उनके उपर उनकी प्राप्ति दिनांक एवं समय अंकित कर मेरे समक्ष एवं मेरी अनुपस्थिति में स्थापना में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु रखेंगे।

शेष डाक/प्रपत्र तीन के अंदर मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद सात दिन के अंदर संबंधित डाक के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर संबंधित नस्ती मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)**

**(भाग - 4 विविध आदेश-4 )**

कं. क/दो-12-01/02

कटनी, दिनांक 17/04/21

प्रशासनिक सुविधा, प्रशासन के सुचारु रूप से संचालन एवं प्रशासनिक दक्षता हेतु एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी, उप प्रशासनिक अधिकारी, लेखापाल, सहायक लेखापाल, सांख्यिकीय लिपिक, जिला नाजिर, नायब नाजिर, नाजिर मालखाना, प्रधान प्रतिलिपिकार, अभिलेखापाल, ग्रंथपाल, सिस्टम आफीसर, असिस्टेंट सिस्टम आफीसर विभिन्न समितियों/अनुभाग के प्रभारी अधिकारियों/अधिकारी विशेष के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली नस्तियां मेरे समक्ष तत्काल प्रस्तुत करेंगे और मेरे आदेश उपरांत उन्हें तत्काल अविलंब संबंधित समिति के अध्यक्ष/अनुभाग के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी/अधिकारी विशेष के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त अनुसचिवीय अधिकारीगण समिति के अध्यक्ष/अनुभाग के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी/अधिकारी विशेष से कोई जानकारी/क्वेरी हेतु नस्ती प्राप्त होने पर उसकी पूर्ति उपरांत तत्काल उसे संबंधित के पास प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त अनुसचिवीय अधिकारीगण संबंधित समिति/अनुभाग/अधिकारी विशेष से उन्हें प्रेषित नस्ती नियत दिनांक तक प्राप्त न होने पर तत्काल मुझे अवगत करायेंगे।



**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 कटनी म.प्र.

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला कटनी (म.प्र.)

(भाग - 4 विविध आदेश-5)

क्रमांक - क/ दो-16-20/14

कटनी, दिनांक 17/09/23

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश क्र. 1201/Confdl/2018 दिनांक 26.09.18 के द्वारा The Right of Persons with Disabilities Act, 2016 read with rules 10 of the The Rights of Persone with Disabilities Rules, 2017 के अंतर्गत रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट कटनी को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किये जाने के परिणामस्वरूप, उनके अवकाश/अनुपस्थिति की अवधि में उनके न्यायालय का आवश्यक दाण्डिक कार्य देखने वाले न्यायिक अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी के कर्तव्य के निष्पादन हेतु नामित किया जाता है।



( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)**


क्रमांक क/दो-12-01/02

कटनी, दि. 17/04/17

**(भाग - 4 विविध आदेश-6)**

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के ज्ञापन 217 जबलपुर दिनांक 19.02.16 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्थापना कटनी में कार्यरत न्यायाधीशगण तथा कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच हेतु निम्नांकित न्यायिक अधिकारीगण को नामांकित किया जाता है :-

1	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश (वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश से कनिष्ठ न्यायाधीश की संख्या 25 तक होने से )	न्यायिक अधिकारीगण की शिकायत के संबंध में
2.	श्री आशुतोष मिश्र, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश कटनी	
2	जिला रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट कटनी स्थापना पर कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति ना होने से	कर्मचारीगण की शिकायत के संबंध में

  
**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 कटनी म.प्र.



# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

(भाग - 5 विविध आदेश-1 )

क/क्यू/दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/04/20

इस न्यायिक स्थापना कटनी की बाह्य न्यायालय बरही, विजयराघवगढ़ एवं ढीमरखेड़ा में प्रशासनिक कार्य व्यवस्था एवं सुविधा से निम्नानुसार **Commitee for Redressal of the Grievances of Litigants and Members of Bar Association at Tehshil Court** गठित की जाती है :-

तहसील स्तरीय शिकायत निवारण समिति विजयराघवगढ़ :-

क्र.	पदाधिकारी का विवरण	नाम एवं पद
1	अध्यक्ष	श्रीमती संजू तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड वि.गढ़
2	सदस्य	श्री अनुपम तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड वि.गढ़
3	सदस्य सचिव	दाण्डिक प्रस्तुतकार
4	सदस्य 1	अध्यक्ष तहसील अधिवक्ता संघ
5	सदस्य 2	सचिव तहसील अधिवक्ता संघ

तहसील स्तरीय शिकायत निवारण समिति बरही :-

क्र.	पदाधिकारी का विवरण	नाम एवं पद
1	अध्यक्ष	श्री तरुणेन्द्र प्रताप सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
2	सदस्य सचिव	दाण्डिक प्रस्तुतकार
3	सदस्य 1	अध्यक्ष तहसील अधिवक्ता संघ
4	सदस्य 2	सचिव तहसील अधिवक्ता संघ

तहसील स्तरीय शिकायत निवारण समिति ढीमरखेड़ा :-

क्र.	पदाधिकारी का विवरण	नाम एवं पद
1	अध्यक्ष	श्री रमाकांत भारके, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
2	सदस्य सचिव	दाण्डिक प्रस्तुतकार
3	सदस्य 1	अध्यक्ष तहसील अधिवक्ता संघ
4	सदस्य 2	सचिव तहसील अधिवक्ता संघ

( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

(भाग - 5 विविध आदेश-2 )

क/क्यू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/04/13

इस न्यायिक स्थापना कटनी की बाह्य न्यायालय विजयराघवगढ़ में निम्नानुसार अनुभाग के प्रभारी अधिकारी एवं समितियों का गठन किया जाता है :-

### अनुभाग :-

क्र.	अनुभाग का नाम	वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
1.	मालखाना	श्रीमती संजू तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	श्री अनुपम तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
2.	कार्यालय	श्रीमती संजू तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	श्री अनुपम तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
3.	नाजरात	श्रीमती संजू तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	श्री अनुपम तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
4.	प्रतिलिपि	श्रीमती संजू तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	श्री अनुपम तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
5.	कम्प्यूटर अनुभाग	श्रीमती संजू तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	श्री अनुपम तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड

### समिति :-

क्र.	समिति का नाम	समिति के अध्यक्ष का नाम व पदनाम	समिति के सदस्य का नाम व पदनाम
1	ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज-2 समिति/कम्प्यूटर रखरखाव समिति (जिला न्यायालय कम्प्यूटर समिति)	श्रीमती संजू तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	श्री अनुपम तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
2	स्वच्छ न्यायालय/ पक्षकारों की सुविधाओं से संबंधित कार्य संपन्न करने हेतु समिति	श्रीमती संजू तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	श्री अनुपम तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
3	हरित न्यायालय समिति	श्रीमती संजू तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	श्री अनुपम तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड

प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति की स्थिति में अन्य पदस्थ अधिकारीगण, प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य संपादित करेंगे।



**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

(भाग - 5 विविध आदेश-3)

क/क्यू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 14/04/13

इस न्यायिक स्थापना कटनी की बाह्य न्यायालय बरही में निम्नानुसार अनुभाग के प्रभारी अधिकारी एवं समितियों का गठन किया जाता है :-

## अनुभाग :-

क्र.	अनुभाग का नाम	प्रभारी अधिकारी
1.	मालखाना	श्री तरुणेन्द्र प्रताप सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख. बरही
2.	कार्यालय	श्री तरुणेन्द्र प्रताप सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख. बरही
3.	नाजरात	श्री तरुणेन्द्र प्रताप सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख. बरही
4.	प्रतिलिपि	श्री तरुणेन्द्र प्रताप सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख. बरही
5.	कम्प्यूटर अनुभाग	श्री तरुणेन्द्र प्रताप सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख. बरही

## समिति :-

क्रं.	समिति का नाम	समिति के अध्यक्ष का नाम व पदनाम	समिति के सदस्य का नाम व पदनाम
1	ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज-2 समिति/कम्प्यूटर रखरखाव समिति (जिला न्यायालय कम्प्यूटर समिति)	श्री तरुणेन्द्र प्रताप सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख. बरही	—
2	स्वच्छ न्यायालय/ पक्षकारों की सुविधाओं से संबंधित कार्य संपन्न करने हेतु समिति	श्री तरुणेन्द्र प्रताप सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख. बरही	—
3	हरित न्यायालय समिति	श्री तरुणेन्द्र प्रताप सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख. बरही	—

( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

(भाग - 5 विविध आदेश-4 )

क/क्यू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/04/12

इस न्यायिक स्थापना कटनी की बाह्य न्यायालय ढीमरखेड़ा में निम्नानुसार अनुभाग के प्रभारी अधिकारी एवं समितियों का गठन किया जाता है :-

अनुभाग :-

क्र.	अनुभाग का नाम	प्रभारी अधिकारी
1.	मालखाना	श्री रमाकांत भारके, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख., ढीमरखेड़ा
2.	कार्यालय	श्री रमाकांत भारके, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख., ढीमरखेड़ा
3.	नाजरात	श्री रमाकांत भारके, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख., ढीमरखेड़ा
4.	प्रतिलिपि	श्री रमाकांत भारके, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख., ढीमरखेड़ा
5.	कम्प्यूटर अनुभाग	श्री रमाकांत भारके, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख., ढीमरखेड़ा

समिति :-

क्र.	समिति का नाम	समिति के अध्यक्ष का नाम व पदनाम	समिति के सदस्य का नाम व पदनाम
1	ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज-2 समिति / कम्प्यूटर रखरखाव समिति (जिला न्यायालय कम्प्यूटर समिति)	श्री रमाकांत भारके, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख., ढीमरखेड़ा	—
2	स्वच्छ न्यायालय / पक्षकारों की सुविधाओं से संबंधित कार्य संपन्न करने हेतु समिति	श्री रमाकांत भारके, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख., ढीमरखेड़ा	—
3	हरित न्यायालय समिति	श्री रमाकांत भारके, व्यवहार न्यायाधीश वरि.ख., ढीमरखेड़ा	—

( धरमिन्दर सिंह राठौड )

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

(भाग - 6 ज्ञापन-1)

क्रमांक क/दो-12-01/02  
प्रति,

कटनी, दि. 17/04/13

श्रीमती सिद्धि मिश्रा  
विजिटर जज/सप्तम जिला न्यायाधीश  
कटनी

विषय :- Quarterly Inspection of Child Care intitutions by the visitor  
Judge and Principal Magistrate JJB

संदर्भ :- 1. माननीय उच्च न्यायालय का पत्र क्रं. Q/RJ-I/JJC/67 Jabalpur  
Dated 25-01-2019  
2. कार्यालयीन विविध आदेश/ज्ञापन .

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि संदर्भ क्रं. 2 द्वारा आपको चाईल्ड केयर संस्थाओं आदि के निरीक्षण हेतु विजिटर जज नियुक्त किया गया है।

अतः आप संदर्भ क्रं. 1 एवं 2 के अनुपालन में जिले के समस्त चाइल्ड केयर संस्थाओं/स्पेशलाइज्ड एडोपशन एजेंसी/सी.डब्ल्यू.सी. का प्रति तीन माह में निरीक्षण कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर प्रसारित प्रारूपों में (नवीन प्रारूपों सहित) विहित प्रारूपों में प्रतिवेदन त्रैमासिक रूप से माह के प्रथम सप्ताह मेरे समक्ष प्रस्तुत करे ताकि उन पर जिला स्तरीय समन्वय बैठक में विचार विमर्श किया जा सके और जे.जे.सी. सचिवालय को प्रतिवेदन प्रेषित किया जा सके।

संलग्न :- संदर्भ क्रं. 1 एवं 2 ।

( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)**

**(भाग - 6 ज्ञापन-2)**

क्रमांक क/दो-12-01/02  
प्रति,

कटनी, दि. 17/04/13

**श्रीमती रंजना चतुर्वेदी**

प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, जुविनाईल जस्टिस बोर्ड/  
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड  
कटनी

विषय :- Quarterly Inspection of Child Care intitutions by the visitor  
Judge and Principal Magistrate JJB

संदर्भ :- माननीय उच्च न्यायालय का पत्र क्रं. Q/RJ-I/JJC/67 Jabalpur  
Dated 25-01-2019

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रं.2 के अनुसार जिले के समस्त चाईल्ड केयर संस्थाओं (Meant for children in conflict with law) जैसे ऑवजरवेशन होम्स, स्पेशल होम्स आदि का प्रति तीन माह में निरीक्षण कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर प्रसारित प्रारूपों में (नवीन प्रारूपों सहित) विहित प्रारूपों में प्रतिवेदन **त्रैमासिक रूप से माह के प्रथम सप्ताह** मेरे समक्ष प्रस्तुत करे ताकि उन पर जिला स्तरीय समन्वय बैठक में विचार विमर्श किया जा सके और जे.जे.सी. सचिवालय को प्रतिवेदन प्रेषित किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

-:: भाग 7 अन्य विविध आदेश 1 ::-

क/  /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 12/04

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा समय समय पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जारी निर्देशों अनुसार एवं Outbreak of Coronavirus (2019 - NCov) के संबंध में जिला न्यायालयों के लिये भेजी गई Advisory की कंडिका कं. 13 में दिये गये निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :-

## जिला न्यायालय कटनी हेतु :-

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री हेमंत कुमार रघुवंशी पंचम जिला न्यायाधीश           | - | सदस्य   |
| 3. श्री विकास चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट             | - | सदस्य   |
| 4. श्री नदीम जावेद खान, जेएमएफसी कटनी                     | - | सदस्य   |
| 5. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ कटनी                              | - | सदस्य   |
| 6. सचिव अधिवक्ता संघ अधिवक्ता                             | - | सदस्य   |
| 7. प्रशासनिक अधिकारी                                      | - | सदस्य   |
| 8. जिला नाजिर   | - | सदस्य   |

## व्यवहार न्यायालय विजयराघवगढ़ हेतु :-


- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. श्रीमती संजू तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड वि.गढ़ | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री अनुपम तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड वि.गढ़   | - | सदस्य   |
| 3. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ वि.गढ़                               | - | सदस्य   |
| 4. नायब नाजिर  | - | सदस्य   |

## व्यवहार न्यायालय बरही हेतु :-

- |   |         |
|---|---------|
| 1. श्री तरुणेन्द प्रताप सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बरही- | अध्यक्ष |
| 2. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ बरही                                      | - सदस्य |
| 3. नायब नाजिर   | - सदस्य |

## व्यवहार न्यायालय ढीमरखेड़ा हेतु :-

- |   |         |
|---|---------|
| 1. श्री रमाकांत भारके, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ढीमरखेड़ा- | अध्यक्ष |
| 2. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ ढीमरखेड़ा                               | - सदस्य |
| 3. नायब नाजिर   | - सदस्य |

(  )

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश**  
**—:: भाग 7 अन्य विविध आदेश 2 ::—**

क/ ५५ /दो-12-01/12


कटनी दिनांक 17/04/20

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा समय समय पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जारी निर्देशों अनुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा Outbreak of Coronavirus ( 2019 - NCov) के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रं. ए/851 दिनांक 20.03.2020 के द्वारा जारी दिशा निर्देश के पालन में जिला न्यायालय कटनी में कार्यरत समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण न्यायालय/कार्यालय समय उपरांत मुख्यालय पर ही उपस्थित है और अपने निवास स्थान पर ही है, यह सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारियों के मुख्यालय में निवास का औचक निरीक्षण करने हेतु निम्नानुसार कर्मचारियों को अधिकृत किया जाता है :-

1. **उप प्रशासनिक अधिकारी**
2. **जिला नाजिर**
3. **नायब नाजिर**

उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये कर्मचारी प्रतिदिवस माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा Outbreak of Coronavirus ( 2019 - NCov) के संबंध में जारी एडवाइजरी के परिपेक्ष्य में औचक निरीक्षण एवं परिपालन सुनिश्चित करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं संबंधित कमेटी को प्रस्तुत करेंगे।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सभी कर्मचारीगण का कमेटी भी औचक निरीक्षण कर सकेगी।

  
**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
**कटनी म.प्र.**



कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश

—:: भाग 7 अन्य विविध आदेश 3 ::—

क/ ०५. /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/01/20

केन्द्र शासन के एलटीसी नियम 1988 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने बावत समिति

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रं. सी/2920 जबलपुर दिनांक 10.11.2020 में दिये गये आदेशानुसार, सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) रूल्स, 1988 के नियम 8 और एल.टी.सी. की विस्तृत गाईड लाईन्स दिनांक 18.11.2019 में दिये गये निर्देशानुसार, एल.टी.सी. प्रकरणों के निराकरण के समय उपरोक्त प्रावधानों का कठोरतापूर्वक पालन किये जाने, एल.टी.सी. प्रकरणों का सी.सी.एस.(एल.टी.सी.) रूल्स, 1988 के नियम 8 के प्रकाश में जांच कर प्रतिवेदन पेश करने तथा यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा 04 वर्ष के ब्लॉक में गाईड लाईन्स दिनांक 18.11.2019 में निर्धारित प्रकार से 02 से अधिक बार एल.टी.सी. सुविधा का उपयोग किया गया है, अथवा नहीं, यदि किसी के द्वारा उल्लंघन किया गया है तो तत्संबंध में अवगत कराने हेतु, निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज, | — अध्यक्ष |
| 2. श्री के.एन. अहिरवार, तृतीय जिला न्यायाधीश               | — सदस्य   |
| 3. श्री हेमंत कुमार रघुवंशी, पंचम जिला न्यायाधीश           | — सदस्य   |
| 4. उप प्रशासनिक अधिकारी                                    | — सदस्य   |

( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश**

—:: भाग 7 अन्य विविध आदेश 4 ::—

क/ न्यु /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 14/04/20

इस स्थापना पर गठित/नियुक्त विभिन्न अनुभागों/समितियों के संबंध में एतद्वारा यह निर्देश जारी किये जाते हैं कि इस स्थापना पर गठित/नियुक्त विभिन्न अनुभागों/समिति उन्हीं प्रकरणों/ज्ञापनों/नस्तियों के संबंध में प्रतिवेदन/अभिमत पेश करेगी, जिन्हें जिला न्यायाधीश के द्वारा चिंहित/निर्देशित किया जावेगा।



( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश


-:: भाग 7 अन्य विविध आदेश 5 ::-

क/ मू /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 12/01/12

इस स्थापना पर पदस्थ कर्मचारीगण जिनकी कुल सेवा 20 वर्ष पूर्ण हो चुकी है अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है, उक्त कर्मचारियों के कार्य, व्यवहार एवं आचरण के संबंध में छानबीन कर प्रतिवेदन पेश करने हेतु, पूर्व में गठित समिति को अधिकमित करते हुये, निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज कटनी	अध्यक्ष
2.	श्री डी.के.सिंह षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश कटनी	सदस्य
3.	सुश्री श्वेता गोयल प्रथम अपर जिला न्यायाधीश कटनी के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश	सदस्य
4.	श्री नदीम जावेद खान जेएमएफसी कटनी	सदस्य

  
( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.


**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश**  
-:: भाग 7 अन्य विविध आदेश 6 ::-

क/ शु /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/04/12

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्र. REG(IT)/3436 दिनांक 30.07.2015 में दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष्य में, जिला न्यायालय कम्प्यूटर समिति (ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज -2 समिति/कम्प्यूटर रखरखाव समिति) का गठन निम्नानुसार विवरण अनुसार किया जाता है :-

1.	सुश्री श्वेता गोयल, प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी के चतुर्थ अति. न्यायाधीश	अध्यक्ष
2.	श्री के.एन.अहिरवार, तृतीय जिला न्यायाधीश कटनी	सदस्य
3.	श्रीमती निधि जैन, तृतीय व्य.न्याया. वरिष्ठ खण्ड	सदस्य
4.	श्री मुदित लटौरिया, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	सदस्य
5.	श्रीमती अंकिता त्रिपाठी जेएमएफसी कटनी	सदस्य
6.	जूनियर सिस्टम एनालिस्ट	सदस्य
7.	सिस्टम अस्सिस्टेंट	सदस्य



**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश**

-:: भाग 7 अन्य विविध आदेश 7 ::-

क/ २ /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 17/09

माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रं. Reg(IT)(SA)/2022/1176 Jabalpur Date 15-09-2022 में दिये गये निर्देशानुसार District Level accessibility Committee निम्नानुसार गठित की जाती है :-

- |    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| 1. | श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री नदीम जावेद खान जेएमएफसी कटनी                      | - | सचिव    |
| 3. | श्री अमित शुक्ला, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ कटनी            | - | सदस्य   |
| 4. | श्री प्रियल दुबे, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट कटनी          | - | सदस्य   |
| 5. | श्री राकेश त्रिपाठी, जिला नाजिर                        | - | सदस्य   |
| 6. | श्री शंभूलाल चौधरी, सहायक ग्रेड 3                      | - | सदस्य   |

This Committee will look after and resolve, on an ongoing basis, the barriers faced by Lawyers and Litigants with disabilities in accessing court filings, court websites and other facets of the judicial system

( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी मध्यप्रदेश**

—:: भाग 7 अन्य विविध आदेश 8 ::—

क/  /दो-12-01/12

कटनी दिनांक 12/04/12

इस स्थापना पर गठित विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुरूप, क्रय आदेश अनुसार, क्रय की गई सामग्रियों के सत्यापन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है :-

1. श्री के. एन. अहिरवार तृतीय जिला न्यायाधीश कटनी - अध्यक्ष
2. श्री विकास चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सदस्य
3. श्री ओमप्रकाश झा, प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य



( धरमिन्दर सिंह राठौड )  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला कटनी (म.प्र.)

-- भाग 7 अन्य विविध आदेश 9 :-

क्रमांक ३३२ / दो-12-01/12

कटनी, दिनांक 12/04/17

जिला न्यायालय परिसर कटनी स्थित बगीचे/गार्डन की समुचित साफ सफाई, देखरेख, सुरक्षा हेतु निम्नानुसार कमेटिया गठित की जाती है :-

कमेटी - 1

जिला न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार के सामने के बगीचे/गार्डन हेतु :-

- |    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| 1. | श्री राजकुमार यादव, नवम जिला न्यायाधीश | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री नदीम जावेद खान, जेएमएफसी          | - | सदस्य   |
| 3. | श्री राकेश त्रिपाठी, जिला नाजिर        | - | सदस्य   |

कमेटी - 2

जिला न्यायालय परिसर के बाये तरफ कॅंटीन/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सामने के बगीचे/गार्डन हेतु :-

- |    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| 1. | श्री हेमंत रघुवंशी, पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री मुदित लटौरिया, जेएमएफसी                         | - | सदस्य   |
| 3. | श्री कमलेश दुबे, नायब नाजिर                          | - | सदस्य   |

उक्त गठित कमेटियों प्रतिदिवस संबंधित बगीचे/गार्डन का निरीक्षण करेगी तथा बगीचे/गार्डन की सुरक्षा, साफ-सफाई कराया जाना सुनिश्चित करायेगी।

( धरमिन्दर सिंह राठौड )

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.



**कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला कटनी (म.प्र.)**

--: भाग 7 अन्य विविध आदेश 10 ::--

क्रमांक ५२ / दो-12-01 / 12

कटनी, दिनांक 17/04/23

**कमेटी कं.- 3**

न्यायिक अधिकारीगण के आवागमन मार्ग अर्थात जिला न्यायालय के बांये तरफ स्थित गेट के सामने तथा न्यायालय भवन के पीछे की तरफ स्थित गेट से लगे हुये क्षेत्र (परिसर से रोड तक) को बगीचे के रूप में विकसित किये जाने तथा समुचित साफ सफाई, देखरेख, सुरक्षा हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है :-

1. श्री के.एन.अहिरवार, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश - अध्यक्ष
2. श्री अरुण कुमार गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड - सदस्य
3. श्री दिलीप दुबे, अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड - सदस्य

उक्त गठित कमेटी प्रतिदिवस संबंधित क्षेत्र/बगीचे/गार्डन का निरीक्षण करेगी तथा क्षेत्र/बगीचे/गार्डन की सुरक्षा, साफ-सफाई कराया जाना सुनिश्चित करायेगी।



**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.

**कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला कटनी (म.प्र.)**

-:: भाग 7 अन्य विविध आदेश 11 ::-

क्रमांक २५५ / दो-12-01/12

कटनी, दिनांक 17/04/12


न्यायिक जिला स्थापना कटनी अंतर्गत बाह्य न्यायालयों बरही, विजयराघवगढ़ और ढीमरखेड़ा में न्यायालय भवन, न्यायाधीश आवास हेतु आवंटित भूमि, उक्त बाह्य न्यायालयों अंतर्गत होने वाले समस्त निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण, निरीक्षण, क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कमेटिया कठित की जाती है :-

**बाह्य न्यायालय बरही और विजयराघवगढ़ हेतु :-**

- |    |   |   |         |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज कटनी | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री डी.के.सिंह, षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश          | - | सदस्य   |
| 3. | श्री इरशाद अहमद, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश         | - | सदस्य   |

**बाह्य न्यायालय ढीमरखेड़ा हेतु :-**

- |    |   |   |         |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्री आशुतोष मिश्र, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश      | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री हेमंत रघुवंशी, पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश        | - | सदस्य   |
| 3. | श्री रमाकांत भारके, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ढीमरखेड़ा | - | सदस्य   |

  
**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 कटनी म.प्र.